न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– नीता वसीटा आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
2/2019	27/03/2019	19-07-2024

1. राधेश्याम पुत्र श्री सीताराम जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत अयानी जर्ये सरपंच
2. प्रेमबाई पुत्री श्री सीताराम जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. सुशीलाबाई पुत्री श्री सीताराम जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. रूपाबाई पुत्री श्री सीताराम जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 03/07/2018 ग्राम प्रेमपुरा ग्राम पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

निर्णय अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम

अपीलान्ट्स द्वारा इस आश्य की अपील प्रस्तुत की गई नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 03/07/2018 ग्राम प्रेमपुरा ग्राम पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0) विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने खारिज किए जाने योग्य है।

1. यह कि रेस्पोडेण्ट कम 1 ने बिना कानून के प्रावधानों का अनुसरण किये गरकानूनी तरीके से इंतकाल खोला है। जो निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि वाके ग्राम प्रेमपुरा पटवार हलका प्रेमपुरा में खतौनी संख्या 183 में आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 3.24 है0, खसरा नंबर 16 रकबा 2.68, खसरा नंबर 90 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 126 रकबा 2.50 है0 खसरा नंबर 175 रकबा 0.26 है0 खसरा नंबर 272 रकबा 0.14 है0 खसरा नंबर 481 रकबा 0.75 है0 कुल 7 किता कुल रकबा 6.97 है0 भूमि स्थित है। जिसके खातेदार अपीलाण्ट के पिता श्री सीताराम पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा है। जिनका स्वर्गवास हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

3. यह कि रेस्पेडेन्ट कम 2 ता 4 ने रेस्पोडेंट 1 से मिली भगत करके अपराधिक षडयंत्र रचाते हुए उक्त इंतकाल खुलवाया है। उक्त इंतकाल के सजरे में हलका पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 का नाम मृतक सीताराम की पुत्रियों के रूप में दर्शाया है। जिसकी पृष्टि कानूनगो के द्वारा की गई है। कि तु मीणा जाति में पुत्र के होते हुए पुत्रियों को अपने पिता की सम्पति में किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार हासिल नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 कसे हिन्दू लॉ में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने के उपरान्त भी हलका पटवारी व कानूनगो ने विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बतौर वारिसान रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 का नाम दर्ज कर दिया। तत्पश्चात रेस्पोडेंट कम 1 ने भी कानून के विपरित जाकर मीणा जाति में पुत्रियों को अपने पिता की सम्पति में पुत्र के रहते हुए किसी भी प्रकार के विरासत हक हकुक हासिल नहीं होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने दिनांक 3.07.2018 को रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 के पक्ष में इन्तकाल नंबर 744 खोलते हुए तस्दीक कर दिया। जो कि कानून के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट कम 2 ता 4 अपने पिता की आराजीयात में किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारिणी नहीं हैं। इस कारण रेस्पोडेट कम 1 द्वारा खोला गया इंतकाल अवैध होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जरिए समन की गई। रेस्पोडेन्टस 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता इन्द्रजीत मीणा ने वकालतनाम व दिनांक 19.07.2023 में रेस्पोडेन्टस को इकबाली जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर रेस्पोडेंट का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस मुकर की गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बकुलाय फरीकेन के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय भापथ पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को कण्डोन करने की प्रार्थना की गई है। जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब तथा काउन्टर भापथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में व्यवस्था है कि विलम्ब के समन के विषय में न्यायालय का उदारतापूर्वक, व्यवहारिक, न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए। केवल विलम्ब के कारण किसी को न्याय से वचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज नामान्तरण संख्या 744 दिनांक 3.07.2018 ग्राम पंचायत आयानी का गहनता से अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत अयानी द्वारा नामांतरण संख्या 744 मृतक सीताराम के वारिसान की जांच कर नियमानुसार विधि के प्रावधानों के अनुरूप मृतक के सभी वारिसान पुत्र–पुत्रिया के नाम खोला गया है। जो स्पष्ट तथा सही प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा मीणा पुत्रियों को अपने पिता की सम्पति में पुत्र के रहते हुए किसी भी प्रकार के विरासत हक हकुक हासिल नहीं होने की वजह से पुत्रियों का नाम सम्मपति में दर्ज किए जाने को लेकर नामान्तरण को चेलेन्ज किया गया जिसका निर्धारण किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इस हेतु अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

में नियमित वाद पेश कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 19-07-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा